

शारीरिक

प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षा परिषद

इससे प्रवेश सम्बन्ध

संख्या - प्राविधिक शिक्षा परिषद सम्बन्धिता/2021/0137

संख्या/दिनांक: 19/08/2021

शारीरिक भाग

प्राविधिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी आउटमिडिक जीए इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु दिल्ली/मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. संख्ये 31/2021 से सम्बन्धिता/सम्बन्धिता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 19/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बन्धिता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बन्धिता पूर्व से संगठित संस्थाओं को सम्बन्धिता विस्तार, पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बन्धिता/सम्बन्धिता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बन्धिता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. संख्ये 31/2021 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बन्धिता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4889-INSTITUTE OF TECHNO AND MANAGEMENT, GORAKHPUR

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए.आई.टी.सी.आई. / पी.सी.आई. द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बन्धिता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए.आई.टी.सी.आई. / पी.सी.आई. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेक्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी. पाठ्यक्रमों हेतु रु 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रकाशी होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ.प्र.) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना